मंगल सिंह **बनाम** गुड्डी देवी आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 01 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/02

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया गया है कि राजस्व ग्राम 59 एफ ए, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/14, खाता संख्या 26/26, खाता संख्या 09/09 में दर्ज भूमि के सम्बन्ध में ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में पंजीकृत दानपत्र को चुनौती दी गई है। जबकि पंजीकृत दस्तावेज को कानूनन दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती हैं। पंजीकृत दस्तावेज को माननीय न्यायालय में चुनौती देकर प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर एक दीवानी प्रकरण अनवान बिन्द्र सिंह बनाम गुडडी देवी पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा पंजीकृत दानपत्र दिनांक 06.03.2019 शून्य घोषित करवाने के अनुतोष के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है। पंजीकृत दानपत्र के आधार पर वाद सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नहीं है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)